कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / आवंटन / 2017 / 1802–5 / 4100–4117 दिनांक :: 13 मई, 2017

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 4 मई, 2017 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में सचिव ने अवगत कराया गया कि गत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 को आयोजित की जाकर उनका कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठकों दिनांक 15 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में गत बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णयों को बैठक में पढ़कर सुनाया गया। बैठक में कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: आपदा प्रबन्धन कार्य से अधिक कार्य की स्वीकृति बाबत।

वर्ष 2014–15 के अनुबंध संख्या 38 (1) स्टोर / 2014–15 के द्वारा आपदा प्रबंधन कार्य की मैसर्स बालाजी कन्स. कं. की दर संविदा की गई थी। जिसकी मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 418–423 दिनांक 18 / 7 / 2014 राशि रूपये 6.50 लाख की जारी की गई है व तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 11 / 14–15 दिनांक 26 / 7 / 14 राशि रूपये 6.00 लाख की जारी की गई है प्राप्त बिल अनुसार उक्त कार्य पर अंतिम बिल तक कुल व्यय 5.93 लाख का किया गया है। उक्त दर संविदा के निविदा प्रपत्र में निम्न सामग्री की उनके आगे अंकित तादाद में दरें मांगी गई थी।

क्र. सं.	सामग्री	तादाद	वास्तविक तादाद	दर	वास्तविक तादाद राशि	अधिक तादाद	अधिक तादाद की राशि
1–	मिट्टी के कट्टे भरकर	1500 कट्टे	700 कट्टे	60	42000 / –	शून्य	शून्य
2–	ट्रैक्टर मय टोली 4 कर्मचारी गेती फावडे पी.ओ. एल. सहित 8.	20 सेट	18 सेट	4690	84420 / –	शून्य	शून्य

	00 घंटे कार्य						
3—	लोडरमय ड्राईवर एवं पी.ओ.एल. सहित 8.00 घंटे कार्य	20 सेट	20 सेट + 18 सेट	11900	238000 / —	18 सेट	214200 / —
4—	मड पम्प मय ऑपरेट एवं पी.ओ.एल. सहित 8.00 घंटे कार्य						
	ए) 2 ईंच पाईप दर प्रति 8 घंटा	10 नग	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य
	बी) 4 ईंच पाईप दर प्रति 8 घंटा	10 नग	3 नग	4790	14370 / —	शून्य	शून्य
	योग				378790 / —		214200 / —
	कुल व्यय					592990 / —	

उक्त निविदा में उपरोक्त में कम संख्या 3 की सामग्री (लोडर मय ड्राईवर एवं पी.ओ.एल. सहित 8 घंटे) 20 सेट के स्थान पर 38 सेट का कार्य तत्कालीन अधिकारियों द्वारा राशि रूपये 214200 / — का अधिक कार्य करवाया गया जो मूल तादाद से 90 प्रतिशत अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। कुल व्यय 592990 / —

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पत्रावली में लेखा शाखा एवं तकनीकी शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: प्राधिकरण में लगे हुए एन.आई.सी. के कार्मिकों को वेतन देने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में NIC/NICSI द्वारा कम्प्यूटरराईजेशन का कार्य फरवरी 2013 से किया जा रहा है।

NIC/NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई—गर्वनेंस को बढ़ावा देना है।

प्राधिकरण में किया गया अब तक का कम्प्यूटराईजेशन NIC/NICSI द्वारा संतोष जनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के ऑनलाईन आवेदन का कार्य, ऐक्शन जोधपुर मोबाईल एप्प, ऑनलाईन सर्विजेज (मानचित्र स्वीकृति, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, नाम हस्तांतरण, बेचान अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र), प्रोपटी रजिस्टर, नागरिक सुविधा केन्द्र, फाईल ट्रैकिंग सिस्टम, कम्प्यूटरराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्केनिंग आदि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन कार्य हेतु सालाना 150 लाख का बजट प्रोविजन है।

NIC/NICSI द्वारा वर्तमान में द्वितीय प्रोजेक्ट प्रोपजल (अक्टुबर 2015 से अक्टुबर 2018) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जिसमें NIC/NICSI द्वारा प्राप्त वार्षिक Performa Invoice अनुसार अग्रिम भुगतान किया जाता है।

अतः उपरोक्त कार्य अक्टुबर 2018 तक NIC/NICSI के मध्यम से करवाने का प्रस्ताव EC में दिनांक 15 मार्च, 2017 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि एन.

2

आई.सी. अधिकारी श्री रवि माथुर, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केन्द्र द्वारा चल रहे जेडीए कम्प्यूटराईजेशन के संबंध में वार्ता की गयी। जिसमें उन्होंने अवगत करवाया कि चल रहे प्राजेक्ट का भुगतान अक्टूबर, 2016 तक ही किया गया था जिसके पश्चात् आज दिनांकतक भुगतान नहीं किया गया।

कार्यकारी समिति की बैठक में वार्ता की गयी जिसमें यह निश्चित किया गया कि 40 लाख का भुगतान किया जाये। लेकिन बिना प्रफोर्मा इनवाईस भुगतान किया जाना संभव नहीं है। अतः इसके लिए 1 नवम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की प्रफोर्मा इनवाईस एन.आई.सी. एस.आई. द्वारा जारी की जानी है तथा उसके प्रफोर्मा इनवाईस की राशि के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।

चूंकि एन.आई.सी.एस.आई. से नवम्बर, 2016 से चालू माह मार्च, 2017 तक कार्य करवाया गया है अतएव यह निर्णय लिया गया कि प्रदत्त सेवाओं के लिए 1 नवम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक एन.आई.सी.एस.आई. प्रफोर्मा इनवाईस मंगवाकर भुगतान किया जावे परन्तु साथ ही 1 अप्रैल, 2017 से सतत् सेवाओं के लिए पृथक से एजेण्डा नोट प्राधिकरण की बैठक में रखा जाये। एन.आई.सी.एस.आई. की मार्फत ली जाने वाली सेवाओं के अनुरूप समान कार्य की वेतन/ मानदेव विसंगति नहीं हो एवं विशेषज्ञ सेवा तथा साफ्टवेयर विकास एवं उन्नयन से संबंधित कार्य भी बाधित नहीं हो, प्रस्ताव तैयार किया जाकर वर्ष 2017–18 (1–4–2017 से 31–3–2018) तक प्रस्तावना रखी जाये।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि एन.आई.सी.एस.आई. को माह मार्च, 2017 तक का भुगतान किया जा चुका है। अतः वर्ष 2017–18 के लिए प्रस्ताव मंगवाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जी.एस.एस. 33/11 के.वी. खसरा संख्या 180 ग्राम जोईन्तरा 2 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

जी.एस.एस. 33/11 के.वी. खसरा संख्या 180 ग्राम जोईन्तरा तहसील बावडी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बावडी 2 बीघा भूमि आवंटन हेतु।

ग्राम जोईन्तरा तहसील बावडी के खसरा संख्या 180 रकबा 61.13 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि संलग्न जमाबंदी नकल अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि है। आवंटन हेतु चाही गई भूमि ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में संलग्न जमाबंदी में दर्शायी गयी है एवं भूमि मौके पर खाली है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 अनुसार राजस्व ग्राम जोईन्तरा बिन्दु संख्या 2 की श्रेणी में सम्मिलित है। प्रारूप मास्टर प्लान – 2031 अनुसार भूमि का प्रस्तावित भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है एवं आपत्ति/ सुझाव लोकेशने मानचित्र अनुसार खसरा विशेष पर कोई आपतित नहीं है। वांछित उपयोग (जी.एस. एस.) विद्यमान/ प्रस्तावित सडक की चौडाई नियोजन मापदण्ड अनुरूप होने के पश्चात् MDP&DCR अनुसार Public Utilities के अन्तर्गत सक्षम अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तावित भू–उपयोग में वांछित अनुज्ञेय है। भूमि आवंटन किये जाने वास्ते प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णय हेतु प्रेषित है।

निर्णय

2

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जी.एस.एस. 33/11 के.वी. सब स्टेशन के लिए ग्राम जोईन्तरा के खसरा संख्या 224 किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के संबंध में पूर्व में प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है। बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 1 (41) नविवि/ जोधपुर/ 2016 दिनाक 18 अप्रैल, 2017 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु गाम जोईन्तरा के खसरा संख्या 224 किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 1000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर के 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। चूंकि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 33/11 के.वी. जी.एस. एस. जोईन्तरा के लिए खसरा संख्या 180 में 2 बीघा भूमि आवंटन चाही गयी है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आदेश क्रमांक 96 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के क्रम में लिखा जावे कि 33/11 के.वी. जी.एस.एस.के लिए अधिकतम 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है एवं चूंकि दूसरा प्रस्ताव भी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा भिजवाया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जावे कि किस आवंटन को बहाल रखा जाना है? जिसके लिए आवंटन की अग्रिम कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मंदिर बावडी, जोधपुर ग्राम बावडी के खसरा संख्या 1711 रकबा 15–06 में से 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मंदिर बावडी, जोधपुर ग्राम बावडी के खसरा संख्या 1711 रकबा 15–06 में से 5 बीघा भूमि आवंटन आवेदन प्रस्तुत किया है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ग्राम बावडी खसरा संख्या 1711 रकबा 15–06 किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु चाही गई भूमि उपलब्ध है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बावडी जोधपुर खसरा संख्या 1711 जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग अर्बन एरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित है। परन्तु जेडीए रिजन के गांवों में सम्मिलित है।

आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मन्दिर बावडी, जोधपुर ग्राम बावडी के खसरा संख्या 1711 रकबा 15–06 में से 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण कार्यकारी समिति में प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मंदिर बावडी के लिए संस्था द्वारा खसरा संख्या 1711 रकबा 15–06 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 5 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु मांग की गयी है। नवीन आवंटन नीति 2015 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि आवंटन हेतु क्षैत्रफल का मापदण्ड निम्नानुसार है:–

1– प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय संभागीय मुख्यालय को छोडकर – 3000 वर्ग मीटर तक

2– माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय संभागीय मुख्यालय को छोडकर – 6000 वर्ग मीटर तक

2

चूंकि आवेदित भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर है, में 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गयी है जबकि उक्त विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर का होने से 3000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की पात्रता रखता है एवं आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बावडी के खरा संख्या 1711 मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग अरबन के बाहर ग्रामीण क्षैत्र में स्थित है जिससे इसका भू–उपयोग निर्धारित नहीं है। लिहाजा प्रकरण राज्य सरकार को नवीन आवंटन नीति 2015 के प्रावधान अनुसार 3000 वर्ग मीटर भूमि नियमानुसार सशुल्क आवंटन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर–बी राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री गिरीश कुमार परिहार पुत्र श्री जवाहर लाल परिहार को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 के जरिये ग्राम चौखा में राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर–बी में भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर–बी बनाप 12 गुणा 21 मीटर अर्थात् 259 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया। प्रार्थी ने आवंटित भूखण्ड के पेटे रसीद संख्या 9001/7533 दिनांक 30.4.2010 राशि जमा करवा कर लीजडीड दिनांक 9.5.2010 को प्राप्त कर ली गई है। प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 19/09/2016 को पेश कर निवेदन किया है कि उक्त आवंटित भूखण्ड पर करीब 20 फीट का गहरा खड्डा होने के कारण भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है तथा इसी योजना में समकक्ष स्तर का समतल भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है ताकि भवन निर्माण करवाकर रहवास कर सके।

कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें कनिष्ठ अभियन्ता को मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड पर मार्गाधिकार से लगभग 10–12 फीट नीचे होना बताया है एवं उबड–खाबड भूमि बताई है। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के बदले इसी योजना में समकक्ष क्षेत्रफल का समतल भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैइक दिनांक 10.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 11 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी श्री गिरीश परिहार को भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर बी राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में समान आकार का भूखण्ड 12 मीटर समान नाप की सडक चौडाई पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 101 सेक्टर–जी में आवंटन करने बाबत अपनी सहमति प्रस्तुत करने को लिखा गया तथा प्रार्थी को कनिष्ठ अभियन्ता के समक्ष मौका निरीक्षण भी करवाया गया। लेकिन प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड नाले के पास होने के कारण एवं भूखण्ड पर जाने के लिए मार्गाधिकार नहीं होने के कारण भूखण्ड लेने में असमर्थता प्रकट की है। तथा भूखण्ड संख्या 363 सेक्टर–एफ राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन करने की मांग की है तथा किसी प्रकार की राशि देय है तो वो भी जमा कराने के लिए तैयार है। यह भूखण्ड 18 मीटर सडक पर स्थित है।

प्रकरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड संख्या 259 आवंटित हुआ था जिसका नाप 12 गुणा 21 मीटर था। प्रार्थी के भूखण्ड में 20 फीट गहरा खड्डा होने के कारण भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है इसलए प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 11 में लिये गये निर्णय के अनुसार भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर बी राजीव गांधी नगर योजना में समान आकार का भूखण्ड समान नाप की चौडाई की सडक पर आवंटन करने का निर्णय लया

गया। परन्तु प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि समान नाप का भखूण्ड समान नाप की सडक पर जो स्थित है, वह नाले के पास एवं खड्डा होने के कारण अनुकूल नहीं है। अतः उसे भूखण्ड संख्या 363 सेक्टर–एफ राजीव गांधी नगर योजना में आवंटन किया जावे। जो कि 18 मीटर चौडी सडक पर स्थित है। प्रार्थी के उक्त आवेदन को समिति ने सर्व सम्मति से उचित नहीं माना और निर्णय लिया गया कि प्रार्थी यदि चाहे तो समान नाप की चौडाई की सडक पर राजीव गांधी नगर में किसी अन्य भूखण्ड के लिए जो रिक्त हो (किसी अन्य को आवंटित नहीं हो) एवं कॉर्नर का भूखण्ड नहीं हो, आवंटन किया जा सकता है चाहे भूखण्ड का क्षैत्रफल पूर्व में आवंटित भूखण्ड से क्षैत्रफल अधिक हो अथवा कम हो उसे अनुरूप राशि का समायोजना किया जा सकेगा।

प्रस्ताव संख्या 7 :: भूखण्ड संख्या 320 सेक्टर–सी अरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने बाबत।

प्रार्थी को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.03.2016 को अरणा विहार योजना में भूखण्ड संख्या 320 सेक्टर –'सी' आवंटन किया गया था। प्रार्थी श्री दिलीप गहलोत पुत्र श्री मदनलाल को **आवंटन पत्र कमांक 638 दिनांक 18.04.2016** को आवंटन शाखा से जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा नहीं करायी गयी तथा नया चालान जारी करने की मांग की है। प्रार्थी द्वारा 90 दिवस तक राशि ब्याज सहित जमा करवा सकता था। लेकिन प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराई गयी। प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है। भूमि निष्पादन अधिनियम, 1974 17 के अनुसार भूखण्ड की राशि 15 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत शास्ती सहित आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति पश्चात् 1 वर्ष तक जमा की जा सकती है। एक वर्ष पश्चात् कार्यकारी समिति में प्रकरण रखा जाकर नियमित करने का समिति को अधिकार है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 320 सेक्टर सी अरणा विहार योजना ग्राम बड़ली को नियमित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: अटल सेवा केन्द्र समिति ग्राम पंचायत भवन हेतु ग्राम खोखरिया, जोधपुर ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 155 रकबा 21–14 में से 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के संबंध में।

अटल सेवा केन्द्र समिति ग्राम पंचायत भवन हेतु ग्राम खोखरिया जोधपुर ग्राम खोरिया के खसरा संख्या 155 रकबा 21.14 में से 1000 वर्ग मीअर भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र 'स' परिशिष्ट प्रस्तुत कर आवंटन की मांग की है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ग्राम खोखरिया खसरा संख्या 155 रकबा 21.14 किस्म गैर मुमकिन बारानी तृतीय भूमि वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। तथा वर्तमान में मौके पर एक 10 वाई 15 का कमरा सार्वजनिक चुग्गाघर एक 16 बाई 16 सार्वजनिक चबुतरा (चुग्गा हेतु) एक लाईन का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है। तथा मौके पर 2 से 3 ट्रोली खण्डे (पत्थर) चडे हुए है। तथा शेष भूमि मौके पर खाली पडी है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.10.2016 अनुसार राजस्व ग्राम खोखरिया बिन्दु संख्या 1 के अन्तर्गत दर्ज है एवं प्रावधान अनुसार प्रचलित मास्टर प्लान 2023 के अनुसार कार्यवाही की जानी है। प्रचलित मास्टर प्लान –2023 के अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयाग आवासीय क्षैत्र के अन्तर्गत आरक्षित

है एवं एम.डी.पी. – 2031 (ड्राफ्ट) की यू–1 एरिया डी.सी.आर. अनुसार आवासीय भू–उपयोग में विभिन्न चौडाई की सडकों पर सक्षम अनुमोदन पश्चात् Government Utilities अनुज्ञेय है।

अटल सेवा केन्द्र समिति ग्राम पंचायत भवन हेतु ग्राम खोखरिया, जोधपुर ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 155 रकबा 21.14 में से 1000 वर्ग मीटर भूम आवंटन हेतु प्राधिकरण कार्यकारी समिति में प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: प्लाट संख्या 265 झरणा विहार श्री तन्मय शर्मा पुत्र श्री बृज मोहन के संबंध में।

श्री तन्मय शर्मा द्वारा झरणा विहार आवासीय योजना में आवेदन किया था। आवेदन 162 वर्ग मीटर आवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा धरोहर राशि 20,000 रूपये जमा कराये है। झरणा विहार योजना की लॉटरी 8 गुणा 15 साईज में भूखण्ड संख्या ए 265 आवंटन हुआ है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र दिनांक 7.5.2016 को 20,000 रूपये प्रति माह का प्रस्तुत किया हे। इसके संबंध में निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण पत्रांक 329 दिनांक 7.9.2016 को प्रार्थी पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपनी आय 25,000 रूपये प्रति माह दर्शाई है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दर्शाई आय को मानते हुए प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श किया गया। जिसमें यह पाया गया कि श्री तन्मय शर्मा द्वारा झरना विहार योजना में आवेदन के समय अपने परिवार की सकल मासिक आय 20,000 रूपये प्रति माह बतायी गयी एवं आय वर्ग के अनुसार 15001 से 22000 रूपये तक 91 से 150 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित हो सकता था और जिसकी दर आरक्षित मूल्य होनी थी। श्री तन्मय शर्मा को दिनांक 12 अगस्त, 2016 को निकाली गयी लॉटरी में भूखण्ड संख्या ए–265 आवंटन हुआ है जिसका क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर है। अतः आवेदन के अनुसार भूखण्ड आवंटन सही हुआ है। इसके पश्चात् दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को श्री तन्मय शर्मा के द्वारा आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि उनकी सकल मासिक आय रूपये 20,000/– दर्शाता है लेकिन इसके बाद दिनांक 21 फरवरी, 2017 को उनके द्वारा एक अन्य आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके परिवार की सकल मासिक आय 25,000/– रूपये प्रति माह दर्शायी गयी है। जिससे यह प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। झरना विहार आवासीय योजना की आवेदन पुस्तिका के अवलोकन से जाहिर है कि 22001 से 30000 रूपये प्रति माह मासिक आय हो तो उसे 151 से 220 वर्ग मीटर के बीच के क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखता है और यह आवंटन भी आरक्षित मूल्य पर होना है। चूंकि श्री तन्मय शर्मा को उनके प्रारम्भिक आय प्रमाण–पत्र के आधार पर पात्रता के अनुसार भूखण्ड आवंटन हो चुका है इसलिए संशोधित आय प्रमाण–पत्र के आधार पर किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है लिहाजा भूखण्ड संख्या ए–295 झरना विहार योजना श्री तन्मय शर्मा को नियमित करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम नैरवा चारणा खसरा संख्या

2

309 में 3000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा का पत्रांक दिनांक 16–01–2017 को प्रेषिश्त कर संलग्न नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र 'स' भरकर प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि ग्राम नैरवा चारणा के खसरा संख्या 309 में चाही गई भूमि का आवंटन करने का निवेदन किया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 309 रकबा 185.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड है एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त खसरे की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त खसरा ग्राम नैरवा जाने वाली मुख्य सडक के बांई ओर स्थित है। उक्त खसरे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैरवा चारणा में के विद्यालय भवन एवं खैल मैदान हेतु 3000 वर्ग मीटर भूमि की मांग की है। जो उक्त खसरे में भूमि रिक्त दर्शायी है।

निदेशक–आयोजना की मास्टर प्लान–2023 की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा एवं गांव नैरवा चाारणा अधिसूचित नगरीय सीमा से बाहर स्थित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ एवं विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक विद्यालय को पूर्व में कितनी भूमि आवंटित हुई है, के संबंध में दस्तावेज मंगवा लिये जावे तत्पश्चात् प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: आदर्श शिक्षण संस्थान को ग्राम कैरू के खसरा संख्या 544 में 5 बीघा भूमि आवंटन करने बाबत।

सचिव, आर्दश शिक्षण संस्थान द्वारा नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र 'अ' भरकर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। संस्थान ग्राम केरू के खसरा नं. 544 में 5 बीघा भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है।

तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के खसरा नं. 544 कुल रकबा 43.18 बीघा गै.मु. ओरण है अतः उपरोक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकोर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरे में संस्था द्वारा चाही गई भूमि पटवारी द्वारा रिक्त दर्शाई है।

निदेशक आयोजना की रिपेार्ट अनुसार उपरोक्त राजस्व ग्राम नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.10.2016 में बिन्दु संख्या 2 की श्रेणी में सम्मिलित है। प्रचलित मास्टर प्लान 2023 में उपरोक्त ग्राम सम्मिलित नही है। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर प्लान 2031 डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन–ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण संस्था हेतु अनुज्ञेयता अंकित नही है। इस संबंध में संस्था को पत्र लिखा गया है। संस्थान द्वारा 21.04.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरू के खसरा नं. 544 नवीन आवंटन नीति की मापदण्ड अनुसार संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अधिकतम भूमि 6000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में होने से संस्थान द्वारा अनुरोध किया कि प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

2

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव, आदर्श शिक्षण संस्था, कैरू द्वारा ग्राम कैरू के खसरा संख्या 544 रकबा 43–18 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि से 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गयी है। उक्त भूमि प्रचलित मास्टर प्लान 2023 में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। चूंकि उक्त विद्यालय माध्यमिक_ स्तर का है जिसके लिए अधिकतम भूमि 6000 वर्ग मीटर आवंटन करने का नवीन आवंटन नीति 2015 में प्रावधान है। अतः राज्य सरकार को 6000 वर्ग मीटर तक सशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017–18 के लिये विभिन्न शाखाओं में कार्य संचालन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध आउट सोर्स द्वारा संविधा लेने बाबत एवम् विभिन्न पदों के कार्मिकों को वार्षिक राशि 70.70 लाख का अनुमोदन बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न शाखाओं में कार्य संचालन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध कार्मिकों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न प्रकार के पदों पर (जैसेः– सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार, पटवारी, अमीन, वरिष्ठ प्रारूपकार, प्रारूपकार, फेरोमैन, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, ड्राईवर, हैल्पर, क्लीनर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जमादार, प्रोसेस सर्वर) कार्मिकों की आवश्यकता रहेगी। जिसके लिए सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार, पटवारी, अमीन, वरिष्ठ प्रारूपकार, प्रारूपकार, फैरोमैन, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि हेतु सेवानिवृत कार्मिकों को लिया जाना है तथा शेष ड्राईवर, हेल्पर, क्लीनर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जमादार, प्रोसेस सर्वर आऊट सोर्स द्वारा संविदा के आधार पर लिया जाना तथा सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आऊट सोर्स के माध्यम से खुली निविदा द्वारा लिया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु विभिन्न पदों पर कुल 83 कार्मिक हेतु वार्षिक राशि रूपये 70. 70 लाख का प्रस्ताव जेडीए की बैठक (कार्यकारी समिति की बैठक) में अनुमोदित करवाया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की विभिन्न शाखाओं में स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रस्ताव अनुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों से आवंदन प्राप्त किये जावे एवं उसके पश्चात् शेष रहे कार्मिकों के लिए आऊट सोर्स के माध्यम से खुली निविदा द्वारा उन्हें रखा जावे। इसके लिए सेवानिवृत्त एवं आऊट सोर्स के आधार पर कुल 83 कार्मिकों हेतु वार्षिक राशि रूपये 70.70 लाख रूपये का प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017–18 के लिये विभिन्न शाखाओं में कम्प्यूटर ऑपरेट खुली निविदा प्रकिया द्वारा लगाने हेतु एवम् वार्षिक राशि 55.48 लाख रूपये का प्रस्ताव अनुमोदन बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न शाखाओं में कम्प्यूटर ऑपरेट की आवश्यकता रहेगी। जिसके लिए खुली निविदा प्रकिया द्वारा 46 कम्प्यूटर ऑपरेटर व वार्षिक राशि रूपये 55.48 लाख हेतु प्रस्ताव जेडीए की बैठक (कार्यकारी समिति की बैठक) में अनुमोदित करवाया जाना प्रस्तावित है।

2

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वर्ष 2017–18 में विभिन्न शाखाओं में आऊट सोर्स के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की आवश्यकता रहेगी जिसके लिए खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा 46 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स रखने हेतु वार्षिक राशि रूपये 55.48 लाख रूपये व्यय करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किा गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017–18 के लिये विभिन्न स्थानों पर जे.डी.ए. परिसर, मानसागर पार्क, सम्राट अशोक उद्यान हेतु सुरक्षा गार्ड राजस्थान एक्स सर्विस मैन लिमिटेड जयपुर के साथ 50 सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा गार्ड/लिपिक अनुबंध करने एवं वार्षिक राशि 75.68 लाख का अनुमोदन बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न स्थानों पर जेडीए परिसर, मान सागर पार्क, सम्राट अशोक उद्यान इत्यादि जगहों पर सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता रहेगी। जिसके लिए राजस्थान एक्स सर्विस मैन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के साथ 50 सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा गार्ड/ लिपिक का अनुबंध निष्पादित किया जाना है। जिसके लिए वार्षिक राशि 75.68 लाख की आवश्यकता रहेगी। अतः उक्त प्रस्ताव जेडीए की बैठक (कार्यकारी समिति की बैठक) में अनुमोदित करवाया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017–17 के लिए विभिन्न स्थानों यथा जे.डी.ए. परिसर, मानसागर, सम्राट अशोक उद्यान इत्यादि स्थानों पर सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान एक्स सर्विस मैन कॉ–आपरेटिव लिमिटेड, जयपुर के साथ 15 सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा गार्ड/लिपिक का अनुबंध निष्पादित करने के लिए जिसकी वार्षिक व्यय राशि अधिकतम 75.68 लाख रूपये होगी, का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: प्राधिकरण के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों के लिए अशोक उद्यान में ई–वन गार्डन का किराये की राशि 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने बाबत।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित सभी सामुदायिक भवनों में मण्डल कर्मचारियों द्वारा बुकिंग कराये जाने पर निर्धारित किराये में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के परिपत्र कमांक प. 46 /मुंसप्रे/ सामु.भवन/ 2009–2010/ 2001 दिनांक 26.02.2010 के अनुसार किया गया है। वर्तमान में सम्राट अशोक उद्यान एवं ईवेन्ट गेस्ट हाऊस माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तान्तरित किया गया है।

मण्डल स्तर पर लिये गये निर्णय दिनांक 26.02.2010 की पालना में कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर श्रमिक कर्मचारी संघ की ओर से आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को दिनांक 30.03.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जोधपुर में निर्मित सम्राट अशोक उद्यान के सामुदायिक भवन (ईवेन्ट गार्डन) के आरक्षण में मण्डल कर्मचारियों की भांति कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण,

2

जोधपुर के अधिकारियों / कर्मचारियों को भी उनके पारिवारिक कार्य के लिए किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावे। इस हेतु प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त–पश्चिम एवं अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता–पश्चिम सम्राट अशोक उद्यान में निर्मित सामुदायिक भवन (इवेन्ट गार्डन) के लिए एक आवंटन नीति बनाकर प्रस्तुत करें जिससे उस पर आगामी प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाकर उचित निर्णय लिया जा सके।

प्रस्ताव संख्या 16 :: अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल नम्बर 4 ग्राम चौखा आवंटियों के प्रत्येक फ्लेट की राशि रूपये 3,63,500/– जमा कराने के संबंध में।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे आवंटी जिन्होंने कम से कम एक किश्त जमा करा दी है उनसे नियमानुसार शेष राशि जमा कर ली जावे और जिन आवंटी ने एक भी किश्त जमा नहीं करवायी है उनके लिए राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: बालकृष्ण शिक्षण संस्थान को ग्राम कैरू के खसरा नम्बर 812 एवं 1256 विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।

श्री कानाराम फडाक द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

1. संस्थान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
2. गत तीन वर्ष की ओडिट रिपोर्ट।
3. संस्थान का विधान।
4. संस्थान विधान नियमावली।

आदि प्रस्तुत कर एवं नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत परिशिष्ट 1 एवं प्रपत्र 'अ' प्रस्तुत किया है। संस्थान द्वारा खसरा नं0 812 अथवा 1256 ग्राम कैरू में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु 5 बीघा भूमि को आवंटन करने का अनुरोध किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 812 व 1256 में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु भूमि रिक्त दर्शाई है। नवीन आवंटन नीति अनुसार विद्यालय हेतु माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर विद्यालय संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल– 4000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय छोडकर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल– 6000 वर्गमीटर तक आवंटन करने का प्रावधान है।

विद्यालय हेतु हॉस्टल के लिये नवीन आवंटन नीति 2015 में कोई प्रावधान नहीं है।

निदेशक आयोजना की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2023 में उक्त भूमि 72 गांव से बाहर स्थित है एवं 72 गांव से बाहर कई आवंटन के प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये गये है। अतः उक्त प्रकरण भी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन कर राज्य सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

2

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विद्यालय को विद्यालय एवं छात्रावास हेतु पूर्व में कोई भूमि आवंटित हुई है या नहीं? इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त से प्राप्त की जावे। उसके पश्चात् प्रकरण को पुनः कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: नये एस.ओ.पी. की शक्तियों की अनुसूची का अनुमोदन

कार्यालय आदेश लेखा/ एस.ओ.पी./ 2015–16 /33–37 दिनांक 11 अप्रैल, 2017 के द्वारा आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में विशेष प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा प्राधिकरण की नयी शक्तियों की अनुसूची दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को आयोजित बैठक के अनुमोदित की गयी है। बैठक के कार्यवाही वृतांत में शक्तियों की अनुसूची के अनुमोदन के साथ यह विनिश्चय किया गया कि इस शक्तियों की अनुसूची को दिनांक 1 मई, 2017 से (प्रचलित शक्तियों की अनुसूची को अतिक्रमित करते हुये) प्रभावी घोषित किया जाये तथा साथ ही इसको कार्यकारी समिति एवं प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करवाकर राज्य सरकार के माध्यम से राजपत्र में अधिसूचित करवाया जाये। समिति के उक्त विनिश्चयों की अनुपालना में नयी शक्तियों की अनुसूची को दिनांक 1 मई, 2017 से लागू करने का आदेश क्रमांक लेखा/ 2016–17 / 157–182 दिनांक 30 अप्रैल, 2017 को जारी कर इसे दिनांक 1 मई, 2017 से लागू कर दिया गया है। समिति के विनिश्चय के मुताबिक इसे राजपत्र में अधिसूचित करने से पूर्व अग्रिम कार्रवाई के बतौर कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अनुमोदन पश्चात् इसे प्राधिकरण से अनुमोदन के लिए आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की नई शक्तियों की अनुसूची को दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से लागू कर दिया जावे शक्तियों की अनुसूची के बिन्दु संख्या 58 (अट्ठावन) को विलोपित किया जावे क्योंकि इस आशय के अलग से प्रशासनिक आदेश जारी है। एवं बाद संशोधन इस प्रस्ताव को आगामी प्राधिकरण की बैठक में भी अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे जिससे कि इसे राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया जा सके।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या 46/आवंटन मूल/E/C बैठक/16 कार्यकारी समिति की बैठक) के पैरा संख्या 110/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

13/5/17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक/आवंटन/2017/1802–5/4100 – 4117 दिनांक :: 13 मई, 2017

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

13/5/17

(अरूण पुरोहित)
सचिव

4100-4117
13-5-2017

परिशिष्ट–क

दिनांक 4 मई, 2017 को प्रातः 11.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री निसार खां, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
2.	श्री कमलसिंह तंवर, ए.सी.पी. (पश्चिम), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
3.	श्री मुकेश मित्तल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री ओम प्रकाश विश्नोई, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–मुख्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री आर.एन. बिश्नोई, अधिशाषी अभियन्ता सी.डी.आई., डिस्कॉम, जोधपुर
9.	श्री लालचन्द चण्डक, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10.	श्री सुजीत जोशी, सहायक पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
11.	श्री देवेन्द्र गहलोत, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री ईश्वर चन्द्र पारीक, उप निरीक्षक, कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
13.	श्री चैनसिंह चम्पावत, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री कन्हैयालाल चौहान, अधिशाषी अभियन्ता–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव